कृषि संबंधी जानकारी हेतू

डायल करें

1800 180 1551

(यह नं० निःशुल्क है)

प्रकाशक

जिला कृषि पदाधिकारी–सह–परियोजना निदेशक, आत्मा, नवादा

द्वितीय तल, संयुक्त कृषि भवन, जिला प्रक्षेत्र (शोभिया पर) नवादा

Vidya Printers, Patna-23

बिहार सरकार

कृषि विभाग

जल जीवन हरियाली

अभियान-2023

4,000 प्रतियाँ मुद्रित/2023–24

धरती को बंजर न बनायें, पानी बचायें पेड़ लगायें

जल-जीवन-हरियाली अभियान

पर्यावरण के संकट को राज्य सरकार ने समय से पहचाना एवं इसके लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के पहल पर 13 जुलाई 2019 को बिहार विधानसभा के केन्द्र कक्ष में विधान मंडल के सदस्यों की संयुक्त बैठक बुलाई गई। माननीय सदस्यों के सुझाव एवं सर्वदलीय समिति के बाद जल–जीवन–हरियाली अभियान की शुरूआत 09 अगस्त 2019 को की गई। कृषि विभाग को इस अभियान के तहत स्पष्ट दायित्व दिया गया है। जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत कृषि विभाग के द्वारा जैविक खेती, मौसम अनुकूल कृषि, कृषि कार्यक्रम, फसल अवशेष प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, जलछाजन विकास के लिए नए जलस्त्रोतों के सृजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

1. जैविक खेती:– बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु इसे तृतीय कृषि रोड मैप का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत जैविक खेती महत्वकांक्षी पहल है। इसके अंतर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY), नमामि गंगे स्वच्छता अभियान अन्तर्गत PKVY तथा जैविक कोरिडोर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(a) परम्परागत कृषि विकास योजना

- इस योजना के तहत प्राकृतिक संसाधन आधारित प्रभावशाली टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना जो मिट्टी की उर्वरता के रख–रखाव और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, खेत पर पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करना और बाहरी उपादानों पर किसानों की निर्भरता को कम करना है।
- जैविक कृषि प्रणालियों के माध्यम से किसानों को कृषि की लागत को कम करना जिससे किसानों की प्रति इकाई भूमि की शुद्ध आय में वृद्धि हो सके।
- मानव उपभोग के लिए स्थायी रूप से रसायन से मुक्त पौष्टिक भोजन का उत्पादन करना।
- जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कलस्टर का निर्माण एवं पी०जी०एस० प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है।
- इस योजना के तहत 20 हे० का कलस्टर/ग्रूप में जैविक खेती कराने के लिए 20 या 20 से अधिक किसानों को शामिल किया जाएगा, एक किसान को अधिकतम 02 हे० के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है।
- इस योजना अन्तर्गत किसानों को जैविक खेती, प्रमाणीकरण, पैकेजिंग, ब्रान्डिंग तथा मार्केटिंग के लिए सहायता अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

- इस योजना अन्तर्गत जैविक खेती में प्रयोगहोने वाले अधिकांश उपादान कृषक अपने स्त्रोत से अपने प्रक्षेत्र पर ही तैयार करते है इसके लिए सरकार द्वारा सहायतानुदान का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2017–22 की अवधि में लिये गये लक्ष्य/उपलब्धि

क्र० सं०	लक्ष्य भौतिक (एकड़ में)	उपलब्धि (एकड़ में)	अभ्युक्ति
1	5000	4951.52	परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा 100 कलस्टर (प्रति कलस्टर 50 एकड़) कुल 5000 एकड़ में योजना कार्यान्वयन का लक्ष्य दिया गया था। जिसके विरूद्ध कुल 4951.52 एकड़ में इसका कार्य कराया गया।
2	3250	3255.75	परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में भारतसरकार द्वारा 65 कलस्टर (प्रति कलस्टर 50 एकड़) कुल 3250 एकड़ में योजना कार्यान्वयन का लक्ष्य दिया गया था। जिसके विरूद्ध कुल 355.75 एकड़ में इसका कार्य कराया गया।
3	5150	5248.04	नमामि गंगे स्वच्छता अभियान अन्तर्गत PKVY वित्तीय वर्ष 2017–18 में 103 कलस्टर (प्रति कलस्टर 20 एकड़) कुल 5150 एकड़ में योजना कार्यान्वयन का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरूद्ध कुल 5248.04 एकड़ में इसका कार्य कराया गया।
4	35000	35827	नमामि गंगे स्वच्छता अभियान अन्तर्गत PKVY वित्तीय वर्ष 2021–22 में 700 कलस्टर (प्रति कलस्टर 50 एकड़) कुल 35000 एकड़ में योजना कार्यान्वयन का लक्ष्य दिया गया था।जिसके विरूद्ध कुल 35827 एकड़ में इसका कार्य कराया गया।

(b) जैविक कोरिडोर योजना

- जैविक कोरिडोर योजनान्तर्गत राज्य के 13 जिलों यथा–पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया एवं कटिहार में जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है।

- अंगीकरण हेतु जैविक उपादान के लिए अग्रिम इनपुट अनुदान 11,500 रू०/एकड़ दिया जा रहा है। एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जा रहा है।
- एक कलस्टर न्यूनतम 25 एकड़ होता है, जिसमें न्यूनतम 25 कृषक सम्मिलित होते हैं।
- राज्य के सभी जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देकर खेती को दीर्घकालीन एव टिकाऊ बनाना है।
- विषमुक्त अन्न का उत्पादन करना।
- किसानो के जैविक उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराना। मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा एवं मिट्टी में उपलब्ध लाभदायक जीवाणुओं का संरक्षण करना।
- इससे फसल उत्पादन के लागत मूल्य में कमी आयेगी।
- फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- किसानों के शुद्ध आय में वृद्धि होगी।
- किसानों के जैविक उत्पाद के लिए बाजार की व्यवस्था की जाएगी।

जैविक कोरीडोर कार्यक्रम के तहत अंगीकरण हेतु जैविक उपादान के लिए अग्रिम इनपुट अनुदान 11,500 रू0/एकड़ दिया जाता है। एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाता है। एक कलस्टर न्यूनतम 25 एकड़ का होता है।, जिसमें न्यूनतम 25 कृषक सम्मिलित किया जाता है। प्रथम वर्ष में चयनित कलस्टरों में सब्जी की खेती किया जाता है। चयनित कलस्टरों का प्रमाणीकरण का कार्य BSSOCA द्वारा किया जाता है। जैविक खेती हेतु किसानों की क्षमता वर्धनहेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य एवं जिलास्तर पर योजना का संचालन प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) द्वारा किया जाता है। जीविका समूहों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है। वर्त्तमान में कुल 187 कृषक उत्पादक समूहों द्वारा 17507.363 एकड़ में जैविक कोरिडोर योजना में खेती की जा रही है, जिसमें किसानों की संख्या– 21,119 है।

राज्य में जैविक खेती की प्रगति (Source : APEDA) अंतिम 06 वर्षों में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल जैविक प्रमाणीकृत क्षेत्र

वित्तीय वर्ष	2015 -16	2016 -17	2017 -18	2018 -19	2019 -20	2020 -21
क्षेत्रफल (एकड़ में)	226.5	1,677.6	1,718.6	8,693.2	56,099.9	73,859.2

बिहार राज्य में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत जैविक प्रमाणीकरण के बढ़ते कदम

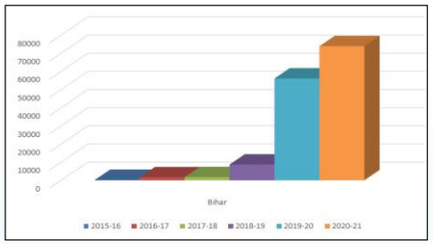

2. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (प्रति बूंद अधिक फसल)

बिहार सरकार के सात निश्चय–2 एवं जल जीवन हरियाली अभियान अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एक महत्वपूर्ण अवयव है जिसे अपनाने से लगभग 60 प्रतिशत जल की बचत, 25–30 प्रतिशत उर्वरक की खपत में कमी, 30–35 प्रतिशत लागत में कमी तथा 25–35 प्रतिशत अधिक उत्पादन के साथ–साथ बेहतर गुणवत्ता का फसल उत्पादन किया जाता है। इस वर्ष से ड्रिप सिंचाई पद्धति यथा ड्रिप, मिनी एवं माईक्रो स्प्रिंकलर के अतिरिक्त पोर्टेबुल स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का अधिष्ठापन भी करवाया जायेगा। सभी श्रेणी के कृषकों को व्यक्तिगत रूप से ड्रिप सिंचाई पर 90 प्रतिशत एवं पोर्टेबुल स्प्रिंकलर पर 55 प्रतिशत (लघु–सीमांत किसानों के लिए) एवं अन्य किसान हेतु 45 प्रतिशत का अनुदान की व्यवस्था की गयी है। ड्रिप सिंचाई अन्तर्गत अभी तक बिहार में 2100 किसानों द्वारा योजना का लाभ लिया गया है जिसका कुल रकवा 10916 एकड़ है। ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने वाले न्युनतम पाँच किसानों के समूह द्वारा कम से कम 2.5 हे० रकवा में यंत्र अधिष्ठापन करने पर लघु एवं सीमांत किसानों को जल श्रोत के सृजन हेतु शत्–प्रतिशत अनुदान (210 फीट गहराई तक) पर सामूहिक नलकूप की व्यवस्था की गयी है इसके साथ साथ ड्रिप अधिष्ठापित एकल किसान को भी व्यक्तिगत नलकूप के अधिष्ठापित हेतु धिकतम 40,000रु0 की व्यवस्था की गई है एवं ड्रिप के अधिष्ठापित करने हेतु कृषकों के लिए 50: अनुदान पर 25 Microl Plastic । ड्रिप सिंचाई अधिष्ठापित करने वाले किसानों को ट्रेंचिंग पर होने वाले व्यय पर भी शत्–प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में योजना अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई (ड्रिप, मिनी एवं माईक्रो स्प्रिंकलर) हेतु 12350.00 एकड़ तथा पोर्टेबुल स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए 2470.00 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित है।

- **जल संचयन तालाब/फार्म पोण्डः–** इसका मुख्य उद्देश्य तेजी से बहने वाले जल को रोककर उसे जमीन में रिसाकर भूजल स्तर को उठाना है। इसके साथ ही पहाड़ी से बहने वाले जल अपवाह की गति को कम कर निचले खेतों में होने वाली फसल व मृदा उर्वरता की क्षति को कम करना है। तालाब में वर्षाजल को संग्रहित कर उसका उपयोग खरीफ व रबी फसलों के दौरान किया जाता है।
- **कुआँः–** कुआँ या कुँवा या कूप जमीन को खोदकर बनाई गई एक संरचना है जिसे जमीन के अन्दर स्थित जल को प्राप्त करने के लिये बनाया जाता है। इसे खोदकर, ड्रिल करके (या बोर करके) बनाया जाता है। बड़े आकार के कुओं से बाल्टी या अन्य किसी बर्तन द्वारा हाथ से पानी निकाला जाता है। किन्तु इनमें जलपम्प भी लगाये जा सकते हैं जिन्हें हाथ से या बिजली से चलाया जा सकता है।
- **चेक डैम :–** चेक डैम वह संरचना है जिसे किसी भी झरने या नाले या छोटी नदी के जल प्रवाह की उल्टी दिशा में खड़ा किया जाता है। इसका प्रमुख उदेश्य बारिश के अतिरिक्त जल को बांधना होता है। यह पानी बरसात के दौरान और उसके बाद भी इस्तेमाल हो सकता है और इससे भूजल का स्तर भी बढ़ता है।

सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार के लिए सात निश्चय–2 अंतर्गत निश्चय– 3 के रूप में खेत को पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुचने के उदेश्य से सात निश्चय–2 अंतर्गत भूमि संरक्षण निदेशालयए कृषि विभाग द्वारा 30 फीट से कम की चौड़ाई का कुल 1480 पक्का चेक डैम बनाने की स्वीकृति मिली है। इसके अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में दक्षिणी बिहार के कुल 18 जिलों (अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, पटना, गया, नवादा, नालंदा, लखीसराय, बांका, जमुई,

पक्का चेक डैम, जिला – जहानाबाद

पक्का चेक डैम, जिला– गया

पक्का चेक डैम , जिला –जमुई

पक्का चेक डैम , जिला– बांका

पक्का चेक डैम, जिला– जहानाबाद

पक्का चेक डैम , जिला – गया

भागलपुर, कैमूर, रोहतास, शेखपुरा, मुंगेर, और जहानाबाद) में यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। अबतक विभिन्न जिलों में 366 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जा चुका हैं। पक्का चेक डैम के निर्माण से वर्षा जल संचय के साथ–साथ भू–गर्भ जल स्तर में वृद्धि होती है तथा परंपरागत सिंचाई क्षमता की पुर्नजीवित करने में मदद मिलती है।

4. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम

बदलते मौसम के अनुसार फसल पद्धति में बदलाव लाने के लिए वर्ष 2019 में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरूआत 08 जिलों से की गयी। वर्ष 2020 में इस योजना का विस्तार सभी 38 जिलों में किया गया। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का निर्माण एवं कार्यान्वयन राज्य के कृषि से संबंधित शिक्षा एवं शोध संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। 38 जिलों में से जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम 18 जिलों में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, 11 जिलों में डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, 07 जिलों में बोरलॉग इन्स्टीच्यूट फॉर साउथ एशिया, पूसा तथा 02 जिलों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पूर्वी क्षेत्र, पटना के द्वारा लागु किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के 190 गाँवों को **मौसम के अनुकूल मॉडल कृषि गाँव** के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिला स्तर पर इस योजना में वैज्ञानिक सहयोग जिला स्तरीय कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा दिया जा रहा है। प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रक्षेत्र में 2.5 एकड़ जमीन मौसम अनुकूल कृषि तकनीक के प्रत्यक्षण एवं प्रायोगिक ट्रायल के लिए अगले 50 वर्षों तक कर्णाकित किया गया है। जलवायु/मौसम अनुकूल कृषि कार्यक्रम को स्थायी रूप से चलाया जायेगा।

इस कार्यक्रम के तहत् निम्न प्रमुख कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है–

- मौसम के अनुकूल फसल, फसल प्रभेद तथा फसल पद्धति का उपयोग।
- उच्च गुणवत्ता के बीज का उपयोग।
- बिना खेत को जोते वैकल्पिक विधि से फसलों के बीज की बुआई।
- खेत में फसल अवशेष का प्रबंधन।
- खेत के बाहर फसल अवशेष का प्रबंधन।
- भूमि संरक्षण का समतलीकरण।

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धि का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

- इस योजना के एक घटक सुखेत मॉडल की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम के तहत् की गयी है।

- धान के पुआल का गट्ठर बनाकर पशुचारा के रूप में उपयोग के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कॉम्फेड के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत् वर्ष 2020 में 10 टन पुआल का उपयोग किया गया, वर्ष 2021 में 156 टन पुआल का पशु चारा के रूप में उपयोग किया गया।
- 10 जिलों के कृषि विज्ञान केन्द्र में बायोचार बनाने की इकाई स्थापित की गयी है। इसके माध्यम से धान के पुआल से उच्च कोटि का कार्बनिक खाद बनाया जा रहा है।
- दिनांक–25 अप्रैल 2022 को भूमि समतलीकरण अभियान का शुभारम्भ किया गया, जो 31 मई 2022 तक चलाया जायेगा।
- जिलावार क्रॉप कैलेण्डर/मौसम के अनुकूल फसल पद्धति का प्रत्यक्षण आयोजित किया गया। विगत 07 फसल मौसम में 80000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फसल पद्धति प्रत्यक्षण आयोजित किया गया। नये क्रॉप साइकिल में मूँग, सोयाबीन, बाजरा, मडुआ, आलू को शामिल किया गया। फसलों की नयी बुआई तकनीक जैसे कि जीरो टिलेज, हैप्पी सीडर, रेज्ड बेड पर खेती, ड्रम सीडर से खेती के प्रत्यक्षण किये गये।
- **उत्पादन लागत में कमी–** नये क्रॉप साइकिल तथा नयी तकनीक को अपनाने के फलस्वरूप गेहूँ के उत्पादन लागत में 5640 रू० प्रति हेक्टेयर तक की कमी आयी।
- **शुद्ध लाभ में बृद्धि–** जलवायु अनुकूल क्रॉप साइकिल को अपनाकर अकेले गेंहूँ की खेती से किसानों के प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ 21362 रू० तक बढ़ा।
- **किसान प्रशिक्षण–** दिसम्बर 2019 से 31 अगस्त 2021 तक दूसरे गाँव के 105852 किसानों को एक्सपोजर विजिट के माध्यम से मौसम अनुकूल कृषि गाँव में ले जाकर प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख किसानों के एक्सपोजर विजिट के माध्यम से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

5. फसल अवशेष प्रबंधन

खेतों में फसल अवशेष नहीं जलाने हेतु फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों का वितरण अनुदानित दर पर किया जा रहा है। कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना– 2022–23 अंतर्गत योजना की कुल राशि का 33% राशि फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों पर अनुदान हेतु कर्णाकित किया गया है। इसके अंतर्गत कुल–21 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 80% तक अनुदान दिया जा रहा है।

कृषि यांत्रिकरण राज्य योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों पर देय अनुदान वर्ष 2022–23

यंत्र का नाम	प्रस्तावित अनुदान दर/अधिकतम सीमा जो कम हो (राशि रू० में)	
	सामान्य	अनुसूचित जाति/जन जाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग
2	3	4
रोटरी मल्चर (35 HP & above)	75% अधिकतम 110000	80% अधिकतम 120000
सुपर सीडर (टैक्टर चालित) 6 फीट	75% अधिकतम 142000	80% अधिकतम 152000
सुपर सीडर (टैक्टर चालित) 7 फीट	75% अधिकतम 150000	80% अधिकतम 160000
सुपर सीडर (टैक्टर चालित) 8 फीट	75% अधिकतम 157000	80% अधिकतम 168000
एसएमएस (स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम)	75% अधिकतम 82000	80% अधिकतम 88000
हैपी सीडर (9 से 11 टाईन)	75% अधिकतम 110000	80% अधिकतम 120000
स्ट्रा वेलन विदाउट रैक	75% अधिकतम 225000	80% अधिकतम 250000
स्ट्रा रीपर	75% अधिकतम 180000	80% अधिकतम 220000
रोट्री सलेशर	75% अधिकतम 37500	80% अधिकतम 40000
जीरो टीलेज/सीड–कम–फर्टीलाईजर ड्रील upto 9 Tyne	75% अधिकतम 32000	80% अधिकतम 34000
जीरो टीलेज/सीड–कम–फर्टीलाईजर ड्रील Above 9 Tyne	75% अधिकतम 40000	80% अधिकतम 43000
Paddy Straw Chopper	75% अधिकतम 110000	80% अधिकतम 120000
रीपर–कम–बाइन्डर (ट्रैक्टर चालित)	50% अधिकतम 125000	50% अधिकतम 150000
रीपर (ट्रैक्टर से चालित)	50% अधिकतम 25000	50% अधिकतम 30000
रिभरसेबुल एम. बी. प्लाऊ 35 एच.पी. से उपर	50% अधिकतम 35000	50% अधिकतम 44000
रीपर–कम–बाइन्डर (स्वचालित) 3 Wheel	40% अधिकतम 140000	50% अधिकतम 175000
रीपर–कम–बाइन्डर (स्वचालित) 4 Wheel	40% अधिकतम 200000	50% अधिकतम 250000
सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर	40% अधिकतम 50000	50% अधिकतम 60000
ब्रस कटर 3 बी.एच.पी. से कम	40% अधिकतम 10000	50% अधिकतम 12500
ब्रस कटर 3–5 बी.एच.पी. तक	40% अधिकतम 16000	50% अधिकतम 20000
Briquette Making Machine (Minimum 100kg/hr capacity)	40% अधिकतम 232000	50% अधिकतम 290000

3. नए जलस्त्रोतों का सृजन

बिहार देश के सबसे मजबूत कृषि राज्यो में से एक है। कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई होती है। राज्य के दक्षिणवर्ती जिलों मे भू क्षरण, वर्षा जल के उपयोग की कम क्षमता एवम निवेश की कमी, सूखाग्रस्त समस्याओं से ग्रसित है। इन सूखाग्रस्त वर्षा आधारित क्षेत्रों मे

कृषि उत्पादकता को दोगुना करने, पानी की उपलब्धता बढ़ाने, फसल और कृषि प्रणालियों मे विविधता लाने एवम आय स्रोतों को बढ़ाने उदेश्य से विभिन्न कार्यक्रम चलाई जा रही है। साथ ही जल संरक्षण उद्देश्य से एवं आगे आनेवाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हेतु यह आवश्यक है कि पर्यावरण से हम उतना ही जल अपने उपयोग के लिए ले, जो कि स्वच्छ जल की प्राकृतिक प्रतिस्थापन की दर के अनुसार हो अर्थात जिससे प्राकृतिक जलभंडार को कोई नुकसान न हो। जल के दुरुपयोग को रोकना, जल की गुणवत्ता को सही रखना ,उचित जल–प्रबन्धन आदि जल संरक्षण की नीति इन योजनाओ के मुख्य केंद्र बिन्दु है । इन्ही सिधान्तों पर भूमि संरक्षण निदेशालय कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का कार्य बिहार के 17 जिलों में (यथा पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, जमूई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपूरा, बाँका, भागलपुर, भोजपुर तथा बक्सर) एवं बेगुसराय जिला में चलाई जा रही है।

इन योजना से विभिन्न आकार के जल संचयन तालाब, आहार पाईन का जिर्णोद्वार, पक्का चैक डैम, सामुदायिक तालाब, साद अवरोधक बाँध, मिट्टी के बांध, मेढ़बंदी, सिंचाई कूप एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण कराया जाता है। इन संरचनाओं के निर्माण से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होता है, साथ ही साथ भू–जल स्तर में भी वृद्धि होती है। जल छाजन क्षेत्र के जल, जमीन, जंगल, जन तथा जानवर के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता है मिट्टी का क्षरण भी रूकता है। फसल क्षेत्र एवम जंगल के रकबे में वृद्धि होती है।

विगत 15 वर्षों से भूमि संरक्षण निदेशालय बिहार तथा बिहार जल छाजन विकास समिति द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. जल छाजन विकास,प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना .प्रति बूंद अधिक फसल, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत पूर्वी भारत के लिए हरित क्रांति योजना राज्य योजना अंतर्गत भूमि एवं जल संरक्षण योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कुल 36279 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। जिसमे विभिन्न आकार के जल संचयन तालाब, आहार पाईन का जिर्णोद्धार, पक्का चैक डैम, सामुदायिक तालाब का जिर्णोद्धार, साद अवरोधक बाँध, मिट्टी के बांध, मेढ़बंदी, सिंचाई कूप एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया है। उक्त

संरचनाओं के निर्माण से कुल 85486 हे० में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। उक्त संरचनाओं के निर्माण से दक्षिणी बिहार के 08 जिलों में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार भूमि जल स्तर में 4 फीट से 17 फीट तक वृद्धि) पाई गयी है, जिसकी सराहना नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा भी की गयी है। संरचनाओं का निर्माण तथा भूमिगत जलस्तर में वृद्धि) के फलस्वरूप किसानों द्वारा वर्ष में एक से अधिक फसल लिया जा रहा है, जिससे परियोजना क्षेत्र में फसल सधनता में 13.9 से 18.4 प्रतिशत एवं फसल उत्पादकता में 17 से 29 प्रतिशत तक की वृद्धि) हुई है।

भूमि एवं जल संरक्षण की योजनाएँ जलछाजन के आधार पर चलाई जातीहै। जलछाजन क्षेत्रों में फलदार एवं वनदार वृक्षारोपन, जल संग्रहन संरचनाएँ, साद अवरोधक बाँध, चेक डैम इत्यादि के कार्य कराये जाते है जिसका मुख्य उद्देश्य निम्न रूपेण है :–

(क) फलोत्पादन उधान विकास तथा मत्स्य पालन आदि कार्यो के लिए वर्षा जल का अधिक से अधिक संरक्षण, संरक्षित जल का समुचित उपयोग भूमिगत जल स्तर को उपर उठाना एवं जलछाजन क्षेत्र के ग्रामीण की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।

(ख) उपजाऊ मिट्टी की क्षरण रोकना है।

(ग) बेरोजगारों को स्वराजगार मुहैया कराकर गरीबी उन्मूलन में सहायता कराना।

(घ) मनुष्य एवं पशुओं पर मौसम की विभिषिका के प्रभाव को कम करना।

(ङ) प्रकृर्तिक संसाधनों का विकास कर पर्यावरण को संतुलित करना।

(च) स्थनीय संसाधनों का उपयोग कर प्रभावी संरचनाओं का निर्माण करना।

जल संग्रहण संरचानाएँ–

- **अर्देन डैमः–** अर्देन डैम वह संरचनाएं हैं जिनका उपयोग पानी को पकड़ने एवम इसकी गति को कम करने के लिए किया जाता है। बांध का निर्माण बरसाती अवधि के दौरान अतिरिक्त। जल जिसका उपयोग शुष्कल भूमि पर सिंचाई हेतु किया जा सकता है को संचित करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की कृषि आवश्यरकताओं के अनुसार जल बहाव को नियमित किया जा सकता है।
- **साद अवरोधक बांधः–** यह बांध के नीचे के क्षेत्रों में जल प्रवाह को विनियमित करने के लिए सतही अपवाह को पकड़ने और जल प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए बनाया जाता दहै। डिटेंशन डैम का उपयोग आम तौर पर बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने या एक चौनल के माध्यम से साद प्रवाहदर को कम करने के लिए किया जाता है।

स्रोतः भूमि संरक्षण, पटना